न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या–68 / 2026

GCMS No.- 2026/77

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		1. श्री राजेश गोदारा पुत्र श्री कृपाराम गोदारा जाति जाट निवासी मांझवास तहसील व जिला नागौर। 2. श्री मुन्नीराम सिद्ध पुत्र श्री जगदीश नाथ निवासी सेड़ाउ खेराट तहसील डेह जिला नागौर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री भागीरथ चौधरी

निर्णय दिनांक :– 20.05.2026

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा कुल 261 कमर्शियल गैस सिलेण्डर मय गैस एवं गैस सिलेण्डरों के परिवहन में प्रयुक्त वाहन संख्या RJ 50 GA 8669 व RJ 21 GD 4462 का समपहरण (Confiscate) का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने जरिये अभिभाषक दिनांक 15.04.2026 को जबाब प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रकरण की कार्यवाही को ड्रोप किये जाने तथा जब्तशुदा वाहन व कॉमर्शियल सिलेण्डर अप्रार्थीगण को सुपुर्द करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का बहस में कथन है कि दिनांक 19.02.2026 को मुखबिर की इत्तला के आधार पर श्री देवीलाल लॉयल का मकान, सुशील ऑयल मील के पास शिव कॉलोनी डेह रोड़ नागौर पर श्री देवाराम प्रवर्तन अधिकारी,श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी, श्री शिवराम चौधरी व श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षकगण मौके पर पहुंचे। मौके पर श्री देवीलाल लायल के मकान के सामने एक लॉरी वाहन संख्या–RJ 21 GD 4462 भी पाई गई जिसमें कमर्शियल गैस सिलेण्डर भरे पाये गये। मौके

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

पर अप्रार्थी श्री राजेश गोदारा पुत्र श्री कृपाराम निवासी मांझवास तहसील व जिला नागौर व श्री मुन्नीराम सिद्ध पुत्र श्री जगदीश नाथ निवासी सेड़ाउ खेराट तहसील डेह जिला नागौर उपस्थित पाये गये जिनसे पूछताछ कर बयान दर्ज किये गये। अपने बयानों में श्री राजेश गोदारा ने बताया कि गैस के व्यवसाय में मेरा पार्टनर मुन्नीराम सिद्ध है। हम दोनों ने नागौर भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से गैस ऐजेन्सी दो माह पूर्व श्री विवेक सिद्ध ग्राम रिडी तहसील श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से खरीदी है, जिसके खरीद के दस्तावेज अभी तक नहीं बने हैं। हमारा कार्यालय श्री देवीलाल लोयल के मकान सुशील ऑयल मील शिव कॉलानी डेह रोड़ नागौर में संचालित है व गैस ऐजेन्सी का गोदाम ग्राम कादरपुरा के खसरा नम्बर 248 श्री संगराराम पुत्र श्री बक्साराम जाट के खेत में संचालित है। गैस कम्पनी द्वारा हमें सम्पूर्ण नागौर जिले में गैस आपूर्ति हेतु अधिकृत किया है। अतः हम नागौर व खींवसर में स्थित होटलों को कमर्शियल गैस सिलेण्डर की आपूर्ति करते है। हमारे यहां किसी भी गैस ऐजेन्सी के गैस कनेक्शनधारी हो कमर्शियल गैस सिलेण्डर की आपूर्ति करते है। इन्होने आगे बताया कि हमने नागौर भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम की बिल बुक छपवा रखी है। होटलों में गैस आपूर्ति करते समय होटलों के नाम से ऑफ लाईन बिल बनाकर देते है। इन्होने मौंके पर बिल बुक प्रस्तुत की जिस पर इनवोईस नम्बर 501 से 534 तक बिल जारी किये जा चुके है। मौके पर खड़ी लॉरी वाहन संख्या RJ 50 GA 8669 में भण्डारित कमर्शियल गैस सिलेण्डर्स का निरीक्षण करने पर 36 कमर्शिलय गैस सिलेण्डर भरे हुए तथा 90 रिक्त पाये गये। महिन्द्रा पिकअप वाहन संख्या RJ 21 GD 4462 में भण्डारित 26 भरे हुए व 09 कमर्शियल गैस सिलेण्डर रिक्त पाये गये। उपर्युक्त दोनों वाहनों में भण्डारित कमर्शियल गैस सिलेण्डर की तलपट्टी पृथक से तैयार कर फर्द मौका के साथ संलग्न की गई। श्री राजेश गोदारा, श्री मुन्नीराम सिद्ध को साथ लेकर इनके द्वारा बताये गये गैस गोदाम पर दोनों वाहनों सहित पहुंचे। मौके पर श्री राजेश गोदारा व श्री मुन्नीराम सिद्ध द्वारा गैस गोदाम को खोलकर निरीक्षण करवाया। मौका निरीक्षण में गैस गोदाम में 100 कमर्शियल गैस सिलेण्डर भरे हुए पाये गये, जिनकी पृथक से तलपट्टी तैयार कर फर्द मौका के साथ संलग्न की गई। गैस गोदाम में फायर सेफ्टी का एक मात्र उपलब्ध फायर एक्सटींग्यूसर अवधिपार पाया गया। मौके पर इलेक्ट्रोनिक कांटा नहीं पाया गया। उक्त दोनों वाहनों व गैस गोदाम में जो कुल 162 भरे हुए व 99 रिक्त कमर्शिलय गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर श्री राजेश गोदारा व श्री मुन्नीराम सिद्ध से एलपीजी गैस के परिवहन, भण्डारण व विक्रय के संबंध में दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र मांगे जाने पर इन्होने बताया कि यह गैस ऐजेन्सी हमने श्री विवेक सिद्ध से खरीदी है, वर्तमान में हमारे पास एलपीजी गैस के परिवहन, भण्डारण व विक्रय के संबंध में किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना अवगत करवाया है एवं श्री राजेश गोदारा व श्री मुन्नीराम सिद्ध द्वारा एलपीजी गैस के परिवहन, भण्डारण व विकय के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र उपलब्ध नहीं करवाये।

इस प्रकार अप्रार्थीगण श्री राजेश गोदारा व श्री मुन्नीराम सिद्ध का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर पाये गये कुल 261 कमर्शियल गैस सिलेण्डर मय गैस, कमर्शिलय गैस सिलेण्डरों के परिवहन में प्रयुक्त वाहन संख्या– RJ 50 GA 8669 व RJ 21 GD 4462 को अवैध मानते हुए जब्त सरकार कर प्रकरण का निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु मैसर्स गहलोत गैस सर्विस नागौर के प्रबन्धक श्री प्रणय उर्फ सोनू गहलोत को सुपुर्दगी में दिया जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

इस प्रकार अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तशुदा कुल 261 कमर्शियल गैस सिलेण्डर मय गैस (तलपट्टी दिनांक 19.02.2026 में वर्णित), कमर्शियल गैस सिलेण्डरों के परिवहन में प्रयुक्त वाहन संख्या– RJ 50 GA 8669 व RJ 21 GD 4462 को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण का बहस में तर्क है कि हमारी एजेन्सी विवेक सिद्ध के नाम से नागौर भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर जरिये प्रोपराईटर के नाम से है। अप्रार्थी मुनीराम उनके रिश्तेदार है। हम अप्रार्थीगण विवेक सिद्ध के एजेन्सी में काम करते है तथा सिलेण्डरों को गोदाम में रखवाने व वितरण आदि का कार्य उनके निर्देशानुसार करते है। इस एजेन्सी का मुख्य गोदाम कादरपुरा स्थित खसरा नम्बर 248 संगराम पुत्र बक्साराम जाट के खेत में संचालित है। गैस कम्पनी द्वारा हमें सम्पूर्ण नागौर जिले में गैस आपूर्ति हेतु अधिकृत किया हुआ है। हम उक्त एजेन्सी के गैस सिलेण्डर नागौर, खींवसर इत्यादि में स्थित होटलों में कमर्शियल गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति करते आये हैं व हमारी एजेन्सी के नाम से बिल बुक भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से छपी हुई है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि रसद विभाग की टीम मौके पर आयी तब बिल बुक हमारे द्वारा उनको सुपुर्द की थी व वाहन संख्या आर.जे.50/जी.ए. 8669 में कॉमर्सियल गैस के 36 सिलेण्डर भरे हुऐ थे 90 खाली थे व महिन्द्रा पिकअप वाहन नं. आर.जे. 21/GD 4462 में 26 सिलेण्डर भरे हुए थे व 09 कॉमर्सियल सिलेण्डर खाली थे जो दोनों वाहनों में उक्त सिलेण्डर अलग–अलग होटलों व प्रतिष्ठानों पर वितरण करने के लिए भेजे जा रहे थे। जहॉ तक गैस गोदाम में क्षमता से अधिक सिलेण्डर होने के आरोप है, जो हमारे विरूद्ध झूठे आरोप है क्योंकि गैस गोदाम में 2000 के.जी.स्टोरेज की क्षमता है परन्तु वितरण हेतु भेजे गये सिलेण्डरो के बाद 2000 किलो से भी कम स्टोरेज था। हमारे पास एल.पी.जी. गैस के परिवहन, भण्डारण व विक्रय के संबंध में सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज होते हुए भी हमारे विरूद्ध यह झूठा प्रकरण बनाकर श्रीमान् को पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने यह भी तर्क दिया कि हमारी एजेन्सी विवेक सिद्ध के नाम से नागौर भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर जरिये प्रोपराईटर के नाम से रजिस्टर्ड है, हमारी इस एजेन्सी के जीएसटी रजिस्टेशन सर्टिफिकेट नं. 08GVEPS8097C3ZX है जो भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.12.2024 को जारी किया गया था एवं वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय पेट्रोलियम सुरक्षा सगठन (PESO) का प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.05.2025 को जारी किया हुआ है तथा इस प्रमाण–पत्र में अंकित स्थान पर ही हमारा गोदाम संचालित किया जा रहा है। भूमि के खातेदार से लीज डीड/किरायानामा दिनांक 10.12.2024 का हमारे पक्ष में पंजीयनसुदा है व भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 भारत सरकार का उधम बीकानेर टेरीटरी एलपीजी का विवेक सिद्ध के नाम LETTER OF INTENT (LOI) FOR PROPOSED NON DOMESTIC LPG DISTRIBUTORSHIP AT NAGAUR, RAJASTHAN दिनांक 27.08.2024 का मैनेजर एलपीजी बीकानेर का जारी किया हुआ है जिसमें स्टोरेज 2000 केजी बताया गया है एवं लेटर ऑफ अपोईटमेंट दिनांक 12.03.2025 जो अपाईटमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव नॉन डोमेस्टिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटेशनशीप नागौर दिनांक 12.03.2025 को जारी किया हुआ है व टेस्ट एण्ड रिफलिंग सर्टिफिकेट दिनांक 18.02.2026

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

तक वैद्य था जिसको दिनांक 19.02.2026 को पुनः दिनांक 18.02.2027 तक रिन्युअल किया गया। उक्त सभी दस्तावेज हम अप्रार्थीगण ने श्रीमान् के समक्ष पेश कर दिये है। हमारे विरूद्ध यह झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है इसलिए निवेदन है कि प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के साथ पेश फर्द मौका,फर्द जब्ती मय सुपुर्दगीनामा में यह अंकित किया है कि उनके द्वारा कार्यवाही के समय मौके पर अप्रार्थी श्री राजेश गोदारा पुत्र श्री कृपाराम निवासी मांझवास तहसील व जिला नागौर व श्री मुन्नीराम सिद्ध पुत्र श्री जगदीश नाथ निवासी सेड़ाउ खेराट तहसील डेह जिला नागौर उपस्थित पाये गये जिनसे पूछताछ कर बयान दर्ज किये गये। अपने बयानो में श्री राजेश गोदारा ने बताया कि गैस के व्यवसाय में मेरा पार्टनर मुन्नीराम सिद्ध है। हम दोनों ने नागौर भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से गैस ऐजेन्सी दो माह पूर्व श्री विवेक सिद्ध ग्राम रिडी तहसील श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से खरीदी है, जिसके खरीद के दस्तावेज अभी तक नहीं बने हैं। हमारा कार्यालय श्री देवीलाल लोयल के मकान सुशील ऑयल मील शिव कॉलोनी डेह रोड़ नागौर रोड़ नागौर में संचालित है व गैस ऐजेन्सी का गोदाम ग्राम कादरपुरा के खसरा नम्बर 248 श्री संगराराम पुत्र बक्साराम जाट के खेत में संचालित है। गैस कम्पनी द्वारा हमें सम्पूर्ण नागौर जिले में गैस आपूर्ति हेतु अधिकृत किया है अतः हम नागौर व खींवसर में स्थिति होटलों को कमर्शियल गैस सिलीण्डर की आपूर्ति करते है। होटलो में हमारे यहां किसी भी गैस एजेन्सी के गैस कनेक्शन धारी को कमर्शियल गैस सिलीण्डर की आपूर्ति करते हैं। इन्होनें बताया कि हमने नागौर भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम की बिल बुक छपवा रखी है।'' इस फर्द मौका, फर्द जब्ती मय सुपुर्दगीनामा में गैर सायल राजेश गोदारा एवं मुन्नीराम के हस्ताक्षर है। उक्त कार्यवाही के समय बयान राजेश गोदारा के दिनांक 19.02.2026 को लिये गये है जिसमें भी उन्होनें अपने बयानों में उपर्युक्त तथ्यों को पुनः दोहराया है।

गैर सायल 1 व 2 ने अपने जबाब दिनांक 15.04.2026 में इन तथ्यों का खण्डन कर यह तथ्य अंकित किये है कि उक्त एजेन्सी विवेक सिद्ध के नाम से नागौर भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर जरिये प्रोपराईटर के नाम से है हम अप्रार्थीगण विवेक सिद्ध के एजेन्सी में काम करते हैं तथा सिलेण्डरों को गोदाम में रखवाने व वितरण आदि का कार्य निर्देशानुसार करते हैं। परन्तु इन तथ्यों के समर्थन में श्री विवेक सिद्ध द्वारा इस प्रकरण में कोई स्वीकृति या स्वीकृति स्वरूप दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से विधिवत गैस ऐजेन्सी चालू होना या फिर गैस ऐजेन्सी द्वारा जारी किये गये गैस कनेक्शनों के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं केवल नागौर भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर की बिल बुक छपवायी जाकर गैस सिलेण्डर वितरण किये जा रहे जिसे कानूनन मान्यता नहीं दी जा सकती है। प्रकरण के अवलोकन से यही प्रतीत होता है कि गैर सायल द्वारा बिना किसी विधिक अनुज्ञप्ति के इस प्रकार के गैस सिलेण्डरों के स्टॉक एवं वितरण का कार्य किया जा रहा हैं तथा इन अवैध गैस सिलेण्डरों का वाहनों से परिवहन किया जा रहा है जो कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) ओदश 2000 की धारा 3,6,7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है,जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा कुल 261 कमर्शियल गैस सिलेण्डर मय गैस(तलपट्टी दिनांक 19.02.2026 में वर्णित अनुसार), कमर्शियल गैस सिलेण्डरों के परिवहन में प्रयुक्त वाहन संख्या RJ 50 GA 8669 व RJ 21 GD 4462 को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अन्तर्गत राजहक समपहरण (Confiscate) किया जाता है। उक्त कमर्शियल गैस सिलेण्डर मय गैस का

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने के आदेश जिला रसद अधिकारी,नागौर दिये जाते है। इनसे प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाकर राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है।

प्रस्तुत प्रकरण में जब्त सुदा वाहन संख्या RJ 50 GA 8669 व RJ 21 GD 4462 का समपहरण (Confiscate) करने के विकल्प में वाहन संख्या RJ 50 GA 8669 वाहन मालिक श्री राजेश गोदारा पर 42500/–(अक्षरे बयालीस हजार पांच सौ रूपये) एवं वाहन संख्या RJ 21 GD 4462 वाहन मालिक श्री किशन सिंह पर 20000/–(अक्षरे बीस हजार रूपये) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। उपर्युक्त वाहन मालिक इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस में उक्त जुर्माना राशि जिला रसद अधिकारी कार्यालय,नागौर के यहां जमा करवाने के आदेश दिया जाता है। उक्त जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर उक्त जब्त सुदा वाहनों को मुक्त कर दिया जावे। उपर्युक्तानुसार प्राप्त जुर्माना राशि एवं सिलेण्डरों की विक्रय राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। यदि वाहन मालिकों द्वारा जुर्माना राशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करवाये जाने पर उक्त जब्तसुदा वाहनों को नियमानुसार नीलाम कर, नीलामी से प्राप्त राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जावे। निलामी से प्राप्त राशि राजकीय राशी घोषित की जाती है। इस आदेश की पालना हेतु जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(देवेन्द्र कुमार)
कलेक्टर नागौर
जिला कलक्टर,
नागौर